

जनपद न्यायालय, कौशाम्बी।


कार्यालय विज्ञापित

यू.पी.एस. बैटरी क्रय किये जाने के सम्बन्ध में

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में e-Courts के अन्तर्गत 500 वी.ए. के 09 यू.पी.एस. प्रति यू.पी.एस. 04 बैटरी कुल 36 बैटरी एवं 02 के.वी.ए. का 01 यू.पी.एस. प्रति यू.पी.एस. 16 बैटरी कुल 16 बैटरी अर्थात् 10 यू.पी.एस. के लिए 52 (12बोल्ट 28 ए.एच.) बैटरी को क्रय किया जाना है साथ ही पुरानी बैटरी को संस्था को वापस की जायेगी और बैटरी का वापसी मूल्य नयी बैटरी के क्रय मूल्य में समायोजित किया जावेगा।

अतः इच्छुक संस्था दिनांक 18.01.2016 तक उपर्युक्त बैटरी के सम्बन्ध में अपना कोटेशन निम्नवत् निर्धारित प्रारूप में केन्द्रीय नजार्त, जनपद न्यायालय कौशाम्बी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

क्रम सं०	बैटरी का नाम	नयी बैटरी की कीमत	पुरानी बैटरी की कीमत
1	Amaeron		
2	Exide		
3	Luminous		
4	Okya		
5	Sukam		


12/1/2016
(ओम प्रकाश-V),
अध्यक्ष, क्रय समिति/
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
कौशाम्बी।

02.01.2016